न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –06/2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2025/22

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म श्री जैन स्वीट्स शॅप, 80 फीट लिंक रोड, गोपाल विहार, बोरखेड़ा कोटा संचालक धीरज जैन पुत्र स्व0 राजेन्द्र जैन

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा), को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांकः–28.10.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग की रोकथाम अभियान के तहत दिनांक 10.01.2025 को जांच दल में सम्मिलित तारा प्रेमचन्दानी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विशाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सत्येन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक खाद्य आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 7.10.2024 की पालना में घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम 80 फीट लिंक रोड गोपाल विहार क्षैत्र में स्थित श्री धीरज जैन की दुकान फर्म श्री जैन स्वीट्स शॅप पर पहुंचे । मौके पर श्री धीरज जैन पुत्र स्व0 राजेद्र जैन उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । परिसर के अवलोकन करने पर 02 घरेलू लाल रंग 14.2 किग्रा क्षमता के गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें से 01 सिलेण्डर गर्म गर्म कचौरी समोसे बनाये जा रहे थे, उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के सबंध में दुकान मालिक धीरज से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 4522/– है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	012276 B	14.2	15.7	15.9	0.200	घरेलू
2	BPCL	0675451	14.2	15.9	16.20	0.300	घरेलू

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर जैन स्वीट्स के मालिक धीरज जैन के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक

उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर सुपुर्दगीनामा बनाकर श्री गैस एजेंसी (सर्विस) गोपाल विहार, कोटा के प्रतिनिधि (ऑफिस असिस्टेन्ट) श्री दिनेश नागर पुत्र श्री द्वारकालाल को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक7.10.2025 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर धीरज जैन के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

4. अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान श्री जैन स्वीट शॉप के यहां से दो गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है वो सिलेण्डर प्रार्थी के घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर है ओर घरेलू उपयोग हेतु घर पर ले जाने हेतु दुकान पर रखे हुए थे, लेकिन उसी वक्त चेकिंग आ जाने से उक्त सिलेण्डरों को गलत रूप से दुकान के उपयोग हेतु मानकर जब्त कर लिया गया है, जबकि उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी के घरेलू गैस सिलेण्डर है ओर घर के उपयोग के लिए घर पर ले जाने के लिए दुकान पर रखे हुए थे, जिनको समय मिलते ही घर पर ले जाना था लेकिन इसी दरमियान चेकिंग आ जाने से उनके द्वारा बिना सुने बिना सुनवाई का मौका दिये उक्त सिलेण्डरों को दुकान के उपयोग का मानकर जब्त कर लिया गया है, उक्त सिलेण्डर घरेलू उपयोग के है ओर प्रार्थी के घरेलू कनेक्शन पर जारी किये हुए है, उक्त सिलेण्डर जब्त किये जाने से प्रार्थी के घर पर खाना बनाने आदि में कॉफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, प्रार्थी ने कोई गलती नहीं की है, भविष्य में भी प्रार्थी श्रीमान के नियमों की पूर्ण पालना करता रहेगा ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर जैन स्वीट्स के मालिक श्री धीरज जैन के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर उनके घर के होना बताया है किन्तु कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है, जबकि मौके पर एक सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ होकर गरम कचौरी बनाई जा रही थी तथा मौके पर जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है । अप्रार्थी द्वारा जवाब में दिया गया तर्क आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का संग्रहण किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधो का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाने योग्य पाते है ।

जिला कलक्टर

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscate किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।
7. निर्णय आज दिनांक28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा